

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय सक्ती  
जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ0ग0)



Website - govtkkbsakti.com,

Email - govt.kkbsakti@rediffmail.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियाँ

क्र.	विवरण	उत्तर (जानकारी)
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य।	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को स्नातक स्तर का शिक्षण, व्यक्तित्व विकास।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।	स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण संबंधी कार्य।
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	शिक्षा सत्र के प्रारंभ में स्नातक स्तर के सभी कक्षाओं का अध्यापन प्रायोगिक कार्य करना। शैक्षणिक कैलेण्डर का पालन करते हुए पाठ्यक्रम पूरा करना अन्य गतिविधियों आयोजित करना। शिक्षा सत्र के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी में परीक्षा लेना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेण्डर का पालन करते हुए शासन के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य संपादित करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश और अभिलेख।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियम एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी नियम छ0ग0 सिविल सेवा नियम।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।	छात्र-छात्राओं का दाखिल खारिज पुस्तिका, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न दस्तावेज।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उनकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	नीति निर्माण का निर्धारण सामान्यतः शासन द्वारा किया जाता है। आंतरिक व्यवस्था हेतु जनभागीदारी समिति एवं स्टॉफ कॉंसिल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।
8	बोर्ड परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और उसकी स्थापना इसके विभाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरणिक क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है?	जनभागीदारी समिति, स्टॉफ कॉंसिल।

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	संस्था में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों से शासन द्वारा निर्धारित नीतियों / नियमों का पालन कराया जाता है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामाग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	यूजीसी / रूसा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय नियमानुसार किया जाता है, जिसकी जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित की जाती है।
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा।	निरंक
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा।	कार्यालय के कम्प्यूटर में विभिन्न सूचनाएँ संग्रहित हैं तथा सूचना आदान प्रदान ई-मेल के द्वारा किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे जिनमें जन साधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय, वाचन कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संस्था के विभिन्न विभागों की सूचना ली जा सकती है। पुस्तकालय वाचन छात्र-छात्राओं के द्वारा की जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	डॉ० ए०के० चतुर्वेदी, प्राचार्य शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय सक्ती, जिला जाँजगीर-चाम्पा (छ०ग०)
17	अन्य उपयोगी जानकारियाँ	निरंक

(डॉ० ए०के० चतुर्वेदी)

प्राचार्य  
 671, K. K. B. College  
 SAKTI (C. G.)